

**छुटी की अर्जी का फार्म**  
**FORM OF APPLICATION FOR LEAVE**

एच. नं०-1  
S.R.-1

(अनुसूचक नियम 216 देखियें)/(See supplementary Rule 216)

नियमकी :- पर सं. 1 से 11 प्रत्येक प्राची को भरनी चाहिए, चाहे वह सार्वजनिक हो वा न-सार्वजनिक।  
 Note:- Items 1 to 11 must be filled in by all applicants whether gazetted or non-gazetted.

1. प्राची का नाम/Name of applicant
2. लागू होने वाली छुटी नियमावली  
Leave rules applicable
3. पद/Post held
4. विभाग, कार्यालय और अनुभाग  
Department, Office and Section
5. वेतन/Pay
6. वर्तमान पद पर मिलने वाला मकान किराया भत्ता, सवादी भत्ता वा अन्य प्रतिकर भत्ते।  
House rent allowance, conveyance allowance, or other compensatory allowances drawn in the present post.
7. छुटी की छुटी की प्रकृति अवधि और उसके शुरू होने की तारीख/Nature and period of leave applied for and date from which required.
8. एवमार और छुटी के दिन, यदि कोई हों, किन्हें छुटी से पहले/बाद में जोड़ना चाहते हैं।  
Sundays and holidays, if any proposed to be gazetted/added to leave.
9. छुटी का कारण।  
Ground on which leave is applied for
10. पिछली छुटी से लौटने की तारीख और उस छुटी की प्रकृति तथा अवधि।  
Date of return from last leave, and the nature and period of that leave.
11. क्या विचार मानानी छुटी में ..... के बीच वर्षों के लिए छुटी यात्रा की कीमतों लेने का है/नहीं है/I propose/do not propose to avail myself of leave travel concession in the block years ..... during the ensuing leave.
12. (क) मैं स्वयं करता हूँ कि बीसस वेतन छुटी/परिवारित छुटी की अवधि में लिए गए छुटी वेतन और आधे बीसस वेतन/आधे वेतन की छुटी से मिलने वाले वेतन के अन्तर को उभर राकम को वापस कर देना जो छुटी की समाप्ति पर अपना उभरे दौरान भेरे देना नियत होने की स्थिति में सूच नियम 81 (ब) (ii)/संशोधित छुटी नियमावली, 1933 के नियम 11 (ब) (iii) के लागू न होने पर अनिवार्य न होगी।  
(a) I undertake to refund the difference between the leave salary drawn during leave on average pay/commuted leave and that admissible during leave on half average pay/half pay leave, which would not have been admissible had the proviso to F. R. 81 (b) (ii)/rule 11 (c) (iii) of the Revised Leave Rules, 1933, not been applied in the event of my retirement from service at the end of the leave.

